-144-

का. सं. 17012/20/2011/सी एफ टी

गृह मंत्रालय
आई एस-I प्रभाग
सी एफ टी प्रकोष्ठ

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: अगस्त, 2013

सेवा में,

श्री रूप किशोर शर्मा,
पुत्र श्री फुल चन्द शर्मा,
जट्टारी, अलीगढ़,
उत्तर प्रदेश।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

महोदय,

कृपया, अपना दिनांक 12.07.2013 का आवेदन देखें जो इस मंत्रालय के आई एस-I प्रभाग में दिनांक 26.07.2013 को प्राप्त हुआ और जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत् सूचना मांगी गई है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, आपको यह सूचित किया जाता है कि नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफ आई सी एन) के संकट के लिए न तो सरकार जिम्मेदार है और न ही आम आदमी। वास्तव में, इस प्रकार के संकट के लिए समाज विरोधी तत्व जिम्मेदार हैं, जिसके लिए सरकार इस संकट से प्रभावी तरीके से मुकाबला करने के लिए कई तरह के उपाय कर रही है। आपको यहां यह सूचित करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय ने जन साधारण के लिए बहुभाषी जागरूकता अभियान शुरू किया है ताकि वे सही बैंक - नोटों की सुरक्षा - विशेषताओं (सिक्योरिटी फीचर्स) के आधार पर नकली नोटों की पहचान कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाने वाली अन्य पहलों के बारे में आगे किसी भी प्रकार की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आई एस-I प्रभाग के लिए अपील प्राधिकारी श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आई एस-I) हैं।

(यू. एस. पी. कुशवाहा)
निदेशक (सी एफ टी) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, श्री अरुण सोबती, अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2. भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली - उपर्युक्त आवेदन, सूचना का अधिकार अधिनियम, की धारा 6(2) के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित किया जाता है।

अनुलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार।

1682/20/CPT/2013 — 145 (59)
19/9/13

आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 17/9/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री......................का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री.................के दिनांक ..../..../2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में ....से अंतरण द्वारा दिनांक: .... / .... /2013 को प्राप्त) को...........प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक....../....../2013 की रसीद सं......................के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

....

....

....

....

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री..................................

....

....

....

उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/प्रभाग से संपर्क करें।

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/3279/2013-पीएमआर

दिनांक: 16/07/ 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रूपकिशोर शर्मा से प्राप्त दिनांक 12.7.2013 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 15.7.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

सचिव, भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रूपकिशोर शर्मा
पुत्र श्री फूलचन्द शर्मा
[illegible], अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

279/13 – 16 July 13 3279/13

सेवा में,

नोडल अधिकारी (सूचना का अधिकार अधिनियम)
कार्यालय–प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली

श्रीमान,

प्रार्थी जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता हैं ।

आपसे निवेदन है के प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें –

1– सरकार की दृष्टि में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करता है या स्वतन्त्रता के 63 साल बाद आज भी चुनावो में धांधली होती है । इस विषय को स्पष्ट बताने की कृपा करें ।

2– आज भी हमारे देश की जनसंख्या का 70% हिस्सा ग्रामीण आबादी में निवास करता है। और ज्यादातर ग्रामीण अशिक्षित भी हैं जबकि सरकार प्रति व्यक्ति सीमित आय से अधिक कमाने वाले व्यक्ति से टैक्स वसूल करती है । किसान के खेत में खदान होती हो तो उस पर भी हक सरकार का होता है किसी व्यक्ति के घर में खजाना निकल आता है तो वह भी सरकार का होता है यहाँ तक कि व्यक्ति अपनी मर्जी से मरना चाहता है तो मर भी नहीं सकता क्योंकि जीवन भी सरकार के अधीन है तो बताने की कृपा करें कि [illegible] जो धन जनता तक पहुँच जाती है उसका जिम्मेदार कौन? सरकार या आम आदमी (जनता), यदि जनता जिम्मेदार है संविधान के तहत उस जनता का [illegible] क्या उसका अधिकार [illegible]